भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1112
(दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण बिहार में पेयजल की आपूर्ति

1112. डा॰ अनिल कुमार साहनीः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सुविध प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

ग्रामीण पेयजल आपूति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अन्तर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान करता है। एनआरडीडब्लूपी के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें अनुमोदित करने एवं कार्यान्वित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान बिहार को एनआरडीडब्लूपी से संबंधित निधियों में से आबंटित निधियों एवं रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वर्ष	आबंटित	रिलीज
2010-11	341.46	170.73
2011-12	374.98	330.02
2012-13	484.24	224.30
2013-14	440.01	113.24*

* 30/11/2013 के अनुसार रिलीज की गई

******